



Date of order of Proceeding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3
26/9/19	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय:- भूमि सुधार उप समाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।</b>  भू-हदबंदी वाद सं० 01/2019-20  <b>सुनेश्वर प्रसाद यादव, बनाम धनपाती देवी, वगै०</b>  <b>आदेश</b></p> <p>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के आवेदन पत्र में केवाला सं० 124 दिनांक 29.01.2019 ई० से कय की गई भूमि ग्राम-कोरेया, थाना न०-04, तौजी-सं०-129 बी. खेवट- सं०-01 थाना-अंचल-नगर उंटारी, के पुराना खाता संख्या 01 पुराना प्लॉट संख्या 181 रकबा 0.21½ एकड़, नया खाता संख्या 18 नया प्लॉट-567 कुल खाता-01, प्लॉट-01, रकबा-0.21½ एकड़, चौहदी उ०-सुनेश्वर प्रसाद, द०-सत्य नास्रयण प्रसाद, पू०-शंकर प्रसाद यादव, प०-हाल केता, दर्ज है। आवेदक बिहार लैंड सिलिंग एक्ट 1961 की धारा 16 (3) के तहत Right Of Pre-Emption के तहत दावा पेश करने का विवरण दर्ज किया है। आवेदक प्रश्नगत केवाला में वर्णित भूमि के बगलगीर रैयत हैं। उस तथ्य की पुष्टि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र द्वारा स्पष्ट किया है। प्रश्नगत केवाला की चौहदी में आवेदक बगलगीर रैयत हैं। उसी आधार पर आवेदक ने उक्त केवाला में वर्णित नियम एवं शर्तों के तहत प्रश्नगत केवाला की भूमि को अपने पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु इस न्यायालय में आवेदन दिया है।</p> <p>विपक्षी केता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित जबाब दिया गया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विपक्षीगण को सिलिंग वाद 01/2019-20 के माध्यम से नोटिश प्राप्त होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा लाये गये वाद को सहस स्वीकार करते हुए खरीद की गई भूमि आवेदक को निबंधित केवाला द्वारा हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं।</li> <li>2. यह कि विपक्षीगण के द्वारा कारण-पृच्छा सह लिखित तर्क समर्पित करते हुए लिखा गया है कि " खरीद की गई भूमि आवेदक को निबंधित केवाला द्वारा हस्तांतरित करने के लिए तैयार है।"</li> </ol> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने आवेदन-पत्र के साथ केवाला सं०-124 दिनांक 29.01.2019 की छायाप्रति एवं उक्त केवाला के मूल जरसमन की राशि एवं उसकी 10 प्रतिशत राशि का चालान दाखिल किए हैं। बिहार लैंड सिलिंग एक्ट 1961 की धारा 16 (3) में यह स्पष्ट प्रमाण है कि कोई भी बगलगीर रैयत या सह-हिस्सेदार बिक्री की गई भूमि पर Right Of Pre-Emption के तहत दावा पेश कर सकता है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में केवाला सं०- 124 दिनांक 29.01.2019 में प्रश्नगत भूमि के पूर्वी चौहदी में आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि विपक्षी केता का नाम उक्त प्लॉट की किसी भी चौहदी में नहीं है।</p> <p>अतः आवेदक का Right Of Pre-Emption का दावा सही प्रतीत होता है। आवेदक का आवेदन-पत्र स्वीकृत किया जाता है एवं विपक्षी केता को यह आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के अन्दर केवाला सं० 124 दिनांक 29.01.2019 में वर्णित भूमि का हस्तांतरण आवेदक के पक्ष में निबंधित दस्तावेज द्वारा कर दें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">   26/9/19  उप समाहर्ता भूमि सुधार  श्री बंशीधर नगर। </p> <p style="text-align: center;">   26/9/19  उप समाहर्ता भूमि सुधार  श्री बंशीधर नगर। </p>	